समक्ष :—पंचम अपर न्यायाधीश कटनी, जिला कटनी (म0प्र0)

(समक्ष :— आर.बी. यादव)

दांडिक पुनरीक्षण प्र.क्र.— 131/17

(संस्थित दिनांक—30.10.2017)

पीताम्बर उर्फ प्रीतम उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री अवतराम पंजवानी
निवासी अवतराम जडीबूटी वाले, विक्की गेम हाउस
के सामने, सिन्धू भवन गली, नई बस्ती, थाना कोतवाली
जिला कटनी (म.प्र.) ..... **आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता**

!! **वि रु द्ध** !!

रीतेश गुप्ता उम्र 28 वर्ष पुत्र श्री अरविन्द गुप्ता
निवासी महात्मागांधी वार्ड क्र.8, गांधीगंज थाना
कोतवाली जिला कटनी (म.प्र.).....**प्रत्यर्थी/अनावेदक**

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री सुधाकर चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित।

प्रत्यर्थी द्वारा श्री एस.के. शुक्ला अभिभाषक उपस्थित।

—:: आ दे श ::—

(आज दिनाँक 15.02.2018 को उद्घोषित)

1. आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता ने श्री अरूण सिह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के प्रकरण क्र. 200/2017 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2017 से व्यथित हेाकर यह पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 397 दंप्रसं प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने परिवादी के परिवाद पर से पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य में लिखत अधिनियम के अपराध के लिए आपराधिक संज्ञान लिया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता ने अपने पुनरीक्षण याचिका में आधार लिया है कि परिवादी/ प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत् प्रसंज्ञान हेतु प्रस्तुत परिवाद के साथ धारा 5 म्यादि अधिनियम के तहत विलंब माफी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 26.08.2017 में विलंब से परिवाद प्रस्तुति के संबंध में कोई विचार न करते हुए ही अवैधानिक रूप से आदेश पारित किया है। अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 26.08.2017 अपास्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

3. प्रत्यर्थीगण की ओर से, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश तथ्य एवं विधि के

अनुरूप रहा होना निरूपित करते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त किए जाने की आपत्ति किया गया है।

4. तत्संबंध में की गई आपत्ति को विचार में लिया गया। विद्वान विचारण न्यायालय के आपराधिक प्र.क्र. 200/17 की आपराधिक पत्रावली का परिशीलन किया गया। परिशीलन से दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी रीतेश गुप्ता की ओर से पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी पीताम्बर/प्रीतम पंजवानी के विरूद्ध 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराधिक संज्ञान हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया और इस परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी रीतेश गुप्ता ने स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत परिवाद पत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के लेख अनुसार पूर्व की रही उधारी रकम को वापसी हेतु पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी द्वारा प्रश्नगत चेक क्र. 000085 दिनांक 17.03.2017 की राशि 2,60,000 रूपये उसे भुगतान हेतु प्रदत्त किया जाना व उक्त चेक दिनांक 22.03.2017 को भुगतान हेतु परिवादी द्वारा अपने बैक–बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाये जाने पर अपर्याप्त निधि की टीप के साथ वापस किया गया और तत्संबंध में एक माह नियत समयावधि के अंतर्गत ही दिनांक 03.04.2017 को जरिये रजिस्टर्ड सूचना पत्र चेक जारीकर्ता को भेजकर चेक अनादरण की सूचना एवं चेक राशि की मांग की गई। उक्त नोटिस दिनांक 05.04.2017 को आरोपी ने प्राप्त होने पर लेने से इंकार की टीप के साथ वापस किया गया और तदनुसार दिनांक 05.04.2017 को ही प्रेषित सूचना पत्र, चेक के जारीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता को प्राप्त हो जाना दर्शित किया है और चेक अनादरण की सूचना प्राप्त हो जाने के 15 दिवस की समयावधि दिनांक 20.04.2017 को पूर्ण होती है, यानि दिनांक 20.04.2017 को उक्त चेक राशि को चेक का जारीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता चेक की राशि को चेक के धारक/परिवादी को वापस कर सकता था, किन्तु उक्त राशि तदनुसार नियत समयावधि में अदा न करने पर तत्संबंध में दिनांक 21.04.2017 को वाद कारण उत्पन्न रहा होना दर्शित होता है और धारा 142 (1) (ख) के परन्तुक के प्रावधान अनुसार धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के लिए वाद हेतुक उत्पन्न होने की तिथि के एक माह के अंदर परिवाद पेश किया जाना चाहिए, यानि दिनांक 21.05.2017 तक परिवादी को परिवाद लाने हेतु समयसीमा थी, किन्तु परिवादी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद नियत समयावधि में न प्रस्तुत करते हुए दिनांक 24.05.2017 कां यानि तीन दिन के विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना दर्शित होता है और तत्संबंध में धारा 142 (1) (ख) के प्रावधान अनुसार यदि परिवादी, परिवाद प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करता है, कि ऐसी अवधि के दौरान उसके पास परिवाद पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था, तब न्यायालय समयावधि के पश्चात भी परिवाद पर संज्ञान लिया जा सकता है।

5. विलंब से परिवाद पेश करण हेतु परिवादी द्वारा धारा 142 (1) (ख) के परंतुक अनुसार विलंब माफी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत न करते हुए धारा 5 म्यादि अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि उक्त आवेदन धारा 142 (1) (ख) के परंतुक के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु उक्त आवेदन में लेख किये गये तथ्य एवं अपेक्षित सहायता अनुसार धारा 142 (1) (ख) के परंतुक के तहत प्रस्तुत किया जाना मान्य कियये जाने की दशा में उसमें विलंब का कारण परिवादी दिनांक 18.0**5**.2017 से 23.0**5**.2017 तक बीमार रहा होना और इसके पूर्व भी उसका स्वास्थ खराब रहा होना दर्शित किया गया है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में विलंब माफी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार/आदेश पारित न करते हुए सीधे पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आपराधिक संज्ञान हेतु

आदेश पारित किया गया है, जबकि परिवाद स्पष्टतः परिसीमा के परे दर्शित किया गया है और तत्संबंध में पृथक से आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है, तब न्यायालय पर यह दायित्व था, कि वह पहले विलंब माफी के संबंध में विचार करे और विलंब माफी के संबंध में पर्याप्त व संतोषजनक कारण दर्शित करने पर ही तत्संबंध में आपराधिक संज्ञान हेतु विचार किया जाना चाहिए था।

6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने विलंब के संबंध में अपने तर्क समर्थन में व्ही.के. वर्मा विरूद्ध दाओदी बोहरा मस्जिद कमेटी बैतूल 2008 (2) एम.पी.एल.आर. 531 का न्यायदृष्टांत संदर्भित किया गया है। यद्य पि उक्त मामला सिविल अपील के संबंध में प्रस्तुत प्रथम अपील के समय विलंब माफी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के संबंध में रहा होकर माननीय उच्च न्यायालय ने कंडिका 8—11 में यह प्रतिपादित किया गया है कि *'प्रथम अपील—विलंब की माफी के लिए आवेदन सहित दायर की गई—तब तक विलंब पहले माफ नही किया जाता, तब तक प्रथम अपील न्यायालय को अपील का निर्णय करने का कोई अधिकारिता नहीं मिलेगी।'* यद्यपि उक्त मामला सिविल अपील के संबंध में रहा है, किन्तु विचाराधीन मामला परिवाद पर से संस्थित मामले में विलंब माफी का प्रश्न विचारणीय रहा है और जब परिवाद परिसीमा के परे प्रस्तुत किया गया हो, तब विलंब माफी के बिना परिवाद पर सुना जाना व आपराधिक संज्ञान हेतु अधिकारिता, विलंब माफी के उपरांत ही संबंधित न्यायालय को प्राप्त होती है।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने सुबोध सालस्कर विरूद्ध जयप्रकाश एम. साहू तथा अन्य ए.आई. आर. एस.सी. 3086 न्यायदृष्टांत भी संदर्भित किया गया है, जो कि धारा 142 (बी) परंतुक के तहत विलंब माफी के संबंध में अवश्य रहा है, किन्तु धारा 142 में किये गये संशोधन से पूर्व का मामला था और उक्त मामले में विचारण न्यायालय ने भूतलक्षी प्रभाव से धारा 142 के परंतुक के तहत विलंब माफी दी गई है, जिसके संबंध में प्रस्तुत अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 (बी) के परंतुक एक मौलिक विधि का प्रावधान है, न कि प्रक्रिया विधि का। अतः उक्त संबंध में संशोधित प्रावधान के भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता है। अतः तत्संबंध में भूतलक्षी प्रभाव से दी गई विलंब माफी अपास्त किया गया है। विचाराधीन प्रावधान में भूतलक्षी प्रभाव से संस्थित किये जाने का कोई मामला नहीं है, किन्तु तत्संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अभिमत से यह स्पष्ट अवश्य होता है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष परिवाद लाये जाने में कारित रहे विलंब माफी के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता और तत्संबंध में विलंब माफी बिना, लिये गये संज्ञान व सुनवायी हेतु अधिकारिता नहीं देता।

8. उपरोक्त विवेचन से विचारण न्यायालय द्वारा विलंब माफी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार किये बिना ही आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत संज्ञान लिया जाना दर्शित होता है। और विलंब माफी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर विचार किये बिना, प्रसंज्ञान के संबंध मे पारित आदेश, त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक होना दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में पारित आलोच्य आदेश शुद्धता, वैधता एवं औचित्य की दृष्टि से स्थिर रखे जाना नहीं पाया जाता है।, किन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी की ओर से विलंब माफी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर विचार ही नहीं हुआ है।, ऐसी स्थिति में विलंब माफी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए उक्त संबंध में उसका निराकरण किए जाने के उपरांत ही परिवादी के परिवाद पर से प्रसंज्ञान के संबंध में आदेश हेतु निर्देश के साथ मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित

किया जाना न्यायालय युक्तियुक्त होना पाती है। अतः पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 26.08.2017 अपास्त किया जाता हैं तथा मामला इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय की ओर प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि परिवादी की ओर से परिवाद के साथ ही प्रस्तुत विलंब माफी आवेदन पर विचार करते हुए उसके निराकरण उपरांत ही, परिवादी के परिवाद पर प्रसंज्ञान के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

9. उभयपक्ष दिनांक 21.02.2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

10. आदेश की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का आपराधिक प्र.क.200/2017 की पत्रावली वापस हो।

(आर.बी. यादव)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.

आदेश आज दिनांक 15.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(आर.बी. यादव)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.